न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम ,अम्बेडकरनगर

UPAN010010332026

Bail Application/251/2026

सत्यम शुक्ला आयु लगभग–30 साल पुत्र स्व0 केशवराम शुक्ला निवासी ग्राम–नौरहनीरामपुर ,थाना–हंसवर,जनपद अम्बेडकरनगर। .....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजन

09.03.2026

1. अभियुक्त सत्यम शुक्ला द्वारा अपराध संख्या–14/2026 धारा–331(4),305,317(2) बी.एन.एस., थाना–हंसवर,जनपद अम्बेडकरनगर के प्रकरण में न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु, जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रकरण के वादी द्वारा पुलिस अधीक्षक,अम्बेडकरनगर को इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अखिलेश शुक्ला पुत्र विश्वनाथ शुक्ला ग्राम नौराहनी रामपुर थाना हंसवर जिला अम्बेडकरनगर का मूल निवासी है। प्रार्थी प्राइवेट नौकरी करता है। घर से अक्सर बाहर ही रहता है। प्रार्थी का पट्टीदार सत्यम शुक्ला के द्वारा दिनांक 24.01.2026 को प्रार्थी के मोबाइल स्मार्ट फोन मोटोरोला व अंगूठी चोरी कर लिया जिसकी जानकारी प्रार्थी को उनकी पत्नी ने दिया। प्रार्थी द्वारा फोन करके उक्त सामान की मांग की तो विपक्षी द्वारा प्रार्थी को भला बुरा कहाग या और तभी से प्रार्थी अपने रिश्तेदार के यहॉ रह रहा है और घर पर भी नहीं है जिसकी लिखित शिकायत थाना हंसवर में दिया था लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उक्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त अभियोग में असत्य घटना एवं झूठे तथ्यों के आधार पर रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। पट्टीदारी की रंजिश वश प्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिए लिखाया गया है। प्रार्थी ने कोई चोरी नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई साक्षी नामित नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी के परिवार से पैसा उधार लिया गया था जिसकी मांग करने पर वाद विवाद किया गया और झूठे तथ्यों पर यह मुकदमा लिखा दिया गया। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तद्नुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्धधारा–331(4),305,317(2) बी.एन.एस के अन्तर्गत आक्षेप है। अभियुक्तगण दिनांक 23.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है।

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.10 12:29:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि जमानत पर छूटने के उपरांत वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगा और परीक्षण में सहयोग करेंगर। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सत्यम शुक्ला द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त को मु0 50,000/– (पचास हजार रूपये मात्र) की दो जमानते व इतनी ही धनराशि के निजी बंधपत्र संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

दिनांकः–09.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6067